175

6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 561-तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-03-2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 168/अपील/1999-2000.

---

1. दलवीर सिंह मृत वारिस-
   १/ फूल कुवरि सिंह पत्नी स्व दलवीर सिंह
   २/ लखपति सिंह तनय स्व0 श्री दलवीर सिहं
2. रंगदेव सिंह तनय रंजोर सिंह
3. शिवबक्स सिंह तनय रंजोर सिंह
4. रमधीर सिंह तनय रंजोर सिंह

निवासी- धौहनी, तहसील-देवसर जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

.....आवेदकगण

बनाम

1. ललन सिंह सहदेव
2. लल्लू सिंह सहदेव
3. पूरन सिंह सहदेव सभी के िपता श्री सहदेव सिंह गोंड
   निवासी- ग्राम धौहनी, तहसील-हुजूर, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
4. मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता, आवेदक

श्री रामाश्रय शुक्ला अभिभाषक, अनावेदक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. द्वारा पारित दिनांक 04-03-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम धौहनी की आराजी किता 12 रकवा 3.74 का आपसी हिस्साबांट के आधार पर नामान्तरण आदेश राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 24-09-88 को पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12-10-99 से विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 24-09-88 निरस्त कर अपील स्वीकार की न्यायालय का आदेश दिनांक 24-09-88 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 168/अपील/1999-2000 दर्ज कर दिनांक 04-03-2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में संपत्ति का अंतरण किये बिना ही मौखिक हिस्सेबांट के आधार पर तहसील न्यायालय ने भूमि का नामांतरण/बटवारा आदेश पारित कर दिया। बिना विधिवत स्वत्व का अंतरण किये और बिना विधिवत स्वत्व प्राप्त किये नामांतरण अथवा बटवारा किये जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण/बटवारा आदेश देने में त्रुटि की है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित वैधानिक आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 04-03-2011 स्थिर रखा जाता है।

11/01/19

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर